राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 438/2017.....जिला.....अजमेर.....

मैसर्स राज ऑटो व्हील्स प्रा.लि., अजमेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाग जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.2017	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री ओ.पी.माहेश्वरी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित बकाया कर राशि 2,45,064/–, ब्याज राशि रूपये 70,076/– एवं शास्ति राशि रूपये 4,90,128/– में से ब्याज राशि रूपये 70,076/– एवं शास्ति राशि रूपये 4,90,128/– को एक वर्ष अथवा अपील निर्णय तक स्थगित किये जाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया गया। अतः व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत् कर राशि 2,45,064 में से 2,32,809/– पर स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उनका वर्ष 2013–14 का बिजनेस ऑडिट किया गया, किन्तु वर्ष 2013–14 के लिए पारित आदेश में वर्ष 2011–12 व 2012–13 की बिक्री पर भी कर ब्याज व शास्ति आरोपित की गई है, जो विधिसम्मत नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी को वर्ष 2013–14 की बिजनेस ऑडिट के लिए अधिकृत किया गया था। अतः आरोपित कर पर स्थगन प्रदान किया जावे। विभागीय प्रतिनिधि ने सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा निवेदन किया कि व्यवसायी ने जानबूझकर वर्ष 2011–12 व 2012–13 की कर योग्य बिक्री को छुपाया है, और उसी बिक्री को वर्ष 2013–14 में घोषित किया है, इस कारण से वर्ष 2011–12 व 2012–13 के वर्षो का उल्लेख वर्ष 2013–14 के आदेश में किया गया है, क्योंकि अपीलार्थी व्यवसायी ने उक्त वर्षो (2011–12 व 2012–13) की छिपाई गई बिक्री को वर्ष 2013–14 में घोषित किया है, इसलिए वर्ष 2013–14 का आदेश विधिसम्मत है। कर निर्धारण अधिकारी ने पूर्णतया रेकॉर्ड के सत्यापन के पश्चात् ही छुपाई गई बिक्री पर कर का आरोपण किया है। अतः उन्होनें वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वास्तविक विक्रय मूल्य से, उसके द्वारा नियमित बहियात में कम बिक्री मूल्य घोषित किया है। अतः कर के बिन्दु पर वर्तमान में गुणादगुण को प्रभावित किये बिना, स्थगन प्रदान नहीं किया जाता है। अपीलीय अधिकारी ने अपने विवेक का इस्तेमाल लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 438/2017.....जिला.....अजमेर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/08/2017	करते हुए कायम मांग राशियों में से ब्याज एवं शास्ति की वसूली योग्य राशियों को स्थगित किया है। प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन राजस्व के पक्ष में प्रतीत होने से बकाया मांग राशि की वसूली हेतु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सुनाया गया 12/9/17 (मदनलाल मालवीय) सदस्य	